

पत्रांक 137/
कार्यालय अग्निशमन सेवा मुद्द्यालय, झारखण्ड, रॉची।

184
128

प्रेषक,

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, रॉची।

सेवा में,

नगर निवेशक,
रॉची नगर निगम,
रॉची।

रॉची, दिनांक - 11-04-14,

प्रसंग :-

बिषय :-

आपका पत्रांक - 8982, दिनांक - 12.02.14

श्रीमती राजकुमारी देवी सरावगी, लेक रोड, कांके रोड, थाना-गोंदा, रॉची द्वारा
ग्राम-कोनका, एम०एस०प्लॉट नं०-371, 372, 376, 377, 379, 380 एवं 382, थाना
नं०-198, थाना-लोअर बाजार, रॉची के प्रस्तावित व्यवसायिक-सह-आवासीय भवन निर्माण
हेतु अग्नि सुरक्षा संबंधी सलाह के संबंध में।

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न किये गये प्लान के अनुसार निर्मित होनेवाले प्रस्तावित भवन के
लिये अग्नि सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :-

- प्लान में दर्शाये गये संकेत चिन्हों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।
- बेसमेंट से जल निकासी की समुचित व्यवस्था रखी जाय।
- बेसमेंट में Transformer, Boiler, Pressurized Cylinder, Generator, A.C न रखे जायें।
- भवन में बेसमेंट वाले भाग में समुचित Ventilation की व्यवस्था रखी जाय ताकि प्रति घंटा कम से कम
12 से 15 एयर चैंज होता रह सके एवं आपात स्थिति में इसे 30 एयर चैंज तक बढ़ाया जा सके।
- बेसमेंट के लिये अलग से ग्रीन्स एवं लिफ्ट की अग्निशमा रखने लगा अथवा सतही तल पर ऐसी व्यवस्था
रखी जाय कि उपरी तलों से ग्रीन्स/लिफ्ट से आने पर सतही तल पर रुकने के बाद ही बेसमेंट के लिये
प्रस्थान घर रखें।
- भवन के पॉच्ये तल पर रस्टरकेस लॉबी को Refuse area के रूप में निर्मित किये जायें।
- रहीमिंग पूल के चारों ओर निम्नलिखित जीवन रक्षक उपकरण आरक्षित अवस्था में रखे जायें :-
 - (प) Life buoy - 02-02 अदद
 - (ख) Life Jacket - 02-02 अदद
- भवन के सभी वालकोनी को पूर्णतः खुला रखने की व्यवस्था की जाय।
- सुरक्षा संबंधी शेष अनुदेश जो इस कार्यालय के पत्रांक - 924, दिनांक - 22.05.13 के द्वारा निर्गत किये गये
हैं उसे लागू रखे जायें।
- भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संरक्षणित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत
प्लान (Hard & Soft Copy में) इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर
लेंगे।
- अग्नि सुरक्षा की टृट्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जॉच इस विभाग से कराने के बाद ही
अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
- राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 एवं 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया
जाय।
- फ्लॉन की प्रतियाँ सुझाव के साथ हस्ताक्षर कर वापस किये जा रहे हैं।

अनुलग्नवाद :— यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, रॉची।

पत्रांक १२४/
कार्यालय अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, रॉची।

प्रेषक,

सहायक प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, रॉची।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
रॉची नगर निगम, रॉची।

रॉची, दिनांक २२/०५/१३

प्रसंगः—

आपका पत्रांक—५०८८ दिनांक—०१.०४.२०१३

विषयः—

श्रीमती राजकुमारी देवी सरावगी, लेक रोड, कांके रोड, गोदा, रॉची के द्वारा मौजा—कोनका, एम०एरा०प्लॉट नं०—३७१, ३७२, ३७६, ३७७, ३७९, ३८०, ३८२, थाना नं०—१९८, थाना—लोवर बाजार, रॉची के प्रस्तावित भवन निर्माण में अग्नि सुरक्षा संबंधी सलाह के संबंध में।

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न किये गये प्लान के अनुसार निर्मित होने वाले भवन में अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं।

1. प्लान में दर्शाये गये संकेत चिन्हों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।
2. प्रस्तावित भवनों के रामने वाले भाग में १.००.००० ली० क्षमता का एक अन्डरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैक का निर्माण कराया जाय।
3. प्रस्तावित भवनों के प्रत्येक ब्लॉक के ऊपर २०,००० ली० क्षमता एक—एक अदद ओभर हेड वाटर टैक का निर्गाण कराया जाय।
4. २८५० ली०/मि० का एक शक्तिशाली पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जो पूरे सिरटम में जलापूर्ति कर सके।
5. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक के ऊपर ९०० ली०/मि० का एक—एक अदद टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
6. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्पिंग व्यवस्था रखी जाय।
7. भवन के प्रत्येक ब्लॉक में फायर लिफ्ट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसकी क्षमता ५४० के०जी० से कम न हो।
8. सीढ़ीयों को Enclosed staircase के रूप में निर्मित किये जायें।
9. प्रस्तावित भवनों की Wiring व्यवस्था किसी Licenced Electrician से ही कराया जाय एवं जगह—जगह MCB का प्रयोग किया जाय।
10. N.B.C के नियम के अनुसार भवन के सामने वाले भाग में चौड़ी ठोस एवं खुली जगह हमेशा उपलब्ध रखी जाय।
11. भवन में प्रति ४०० वर्ग फीट के लिये एक की दर से एक—एक अदद DCP Extinguisher 10 kg. रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. किसी भी सेटबेक ऐरिया को किसी भी परिस्थिति में बाधित न किया जाय।
13. भवन में तंडित वालक लगाने की व्यवस्था की जाय।
14. भवन में निवास करने के पूर्व भवन में संरक्षणित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान (Hard & Soft Copy में) इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे।
15. अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालग की जॉच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापसि प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेंगे।

(शेष अगले पृ० पर)

Receiving no - 6267

16. प्रस्तावित व्यवरायिक—सह—आवारीय भवन के लिये राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.5 एवं 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवरथाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।
17. प्लॉग की प्रतियों सुझाव के साथ हस्ताक्षर कर वापस किये जा रहे हैं।

अनुलग्नकः—यथोपरि।

विश्वासभाजन

५२/३

सहायक प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।